मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 162/2013 वादपत्र धारा 88 आर.टी.एक्ट.

1— भैरूलाल पिता नारायण बलाई नि. पण्डेड़ा तह. बडीसादडी
2— मोहनीबाई पत्नी नारायण बलाई नि. पण्डेड़ा तह. बडीसादडी
3— काली पुत्री नारायण बलाई नि. पण्डेड़ा तह. बडीसादडी

—–वादीगण

बनाम

1— मृतक मोहन पिता मोडा बलाई के बजाय निम्न वारीसान
1/1— मोतीलाल पिता मोहन बलाई नि. पण्डेड़ा
1/2— हरिश पिता मोहन बलाई नि. पण्डेड़ा
1/3— कलमा पुत्री मोहन बलाई नि. पण्डेड़ा
1/4— शान्ती पुत्री मोहन बलाई नि. पण्डेड़ा
2— मृतक देवा पिता मोडा बलाई के बजाय निम्न वारिसान
2/1— उंकार पिता देवा बलाई नि. पण्डेड़ा
2/2— प्रकाश पिता देवा बलाई नि. पण्डेड़ा
2/3— वरदी पुत्री देवा बलाई नि. पण्डेड़ा
2/4— मांगीबाई पुत्री देवा बलाई नि. पण्डेड़ा
2/5— प्यारी पत्नी देवा बलाई नि. पण्डेड़ा
3— पप्पुडा पिता मोडा बलाई नि. पण्डेडा नि. बडीसादडी
4— मृतक उदयलाल पिता हीरा बलाई के बजाय
4/1— सुरेश पुत्र उदयलाल बलाई नि. पण्डेड़ा
4/2— प्रकाश पुत्र उदयलाल बलाई नि. पण्डेड़ा
4/3— कुस्बा पुत्री उदयलाल बलाई नि. पण्डेड़ा
4/4— गंगा पुत्री उदयलाल बलाई नि. पण्डेड़ा
4/5— बसन्ती पत्नी उदयलाल बलाई नि. पण्डेड़ा
5— मनोहर पिता हीरा बलाई नि. पण्डेड़ा
6— भैरूलाल पिता हीरा बलाई नि. पण्डेड़ा
7— भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

—प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील श्री विजय मोगरा तथा प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री शंकरलाल सालवी की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा पण्डेड़ा की आराजी नं. 50 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा आराजी नं. 87 रकबा 4 बिघा 1 बिस्वा कुल किता 2 योग 11 बिघा 19 बिस्वा भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं. 4, 5, 6 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा होकर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होने से खातेदारी घोषणा की जावे। तथा आराजी नं. 96 रकबा 7 बि[illegible]मलाती खातेदारी में रखी जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे....X.... प्रतिशत [illegible]....X.... पर दी जावे।
यह आज दिनांक 30.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.03.19 11:17:15 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

PTO

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/20 दिनांक :30/1/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.03.19 11:17:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 162/2013 ई.रे.

1– भैरूलाल पिता नारायण बलाई नि. पण्डेड़ा तह. बडीसादडी
2– मोहनीबाई पत्नी नारायण बलाई नि. पण्डेड़ा तह. बडीसादडी
3– काली पुत्री नारायण बलाई नि. पण्डेड़ा तह. बडीसादडी

—वादीगण

बनाम

1– मृतक मोहन पिता मोडा बलाई के बजाय निम्न वारीसान
1/1– मोतीलाल पिता मोहन बलाई नि. पण्डेड़ा
1/2– हरिश पिता मोहन बलाई नि. पण्डेड़ा
1/3– कलमा पुत्री मोहन बलाई नि. पण्डेड़ा
1/4– शान्ती पुत्री मोहन बलाई नि. पण्डेड़ा
2– मृतक देवा पिता मोडा बलाई के बजाय निम्न वारिसान
2/1– उंकार पिता देवा बलाई नि. पण्डेड़ा
2/2– प्रकाश पिता देवा बलाई नि. पण्डेड़ा
2/3– वरदी पुत्री देवा बलाई नि. पण्डेड़ा
2/4– मांगीबाई पुत्री देवा बलाई नि. पण्डेड़ा
2/5– प्यारी पत्नी देवा बलाई नि. पण्डेड़ा
3– पप्पुडा पिता मोडा बलाई नि. पण्डेडा नि. बडीसादडी
4– मृतक उदयलाल पिता हीरा बलाई के बजाय
4/1– सुरेश पुत्र उदयलाल बलाई नि. पण्डेड़ा
4/2– प्रकाश पुत्र उदयलाल बलाई नि. पण्डेड़ा
4/3– कुस्बा पुत्री उदयलाल बलाई नि. पण्डेड़ा
4/4– गंगा पुत्री उदयलाल बलाई नि. पण्डेड़ा
4/5– बसन्ती पत्नी उदयलाल बलाई नि. पण्डेड़ा
5– मनोहर पिता हीरा बलाई नि. पण्डेड़ा
6– भैरूलाल पिता हीरा बलाई नि. पण्डेड़ा
7– भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टै0एक्ट

// निर्णय // दिनांक :– 30/01/2025

वादी की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा पण्डेड़ा तहसील बडीसादडी में आराजी नं. 50 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा आरजी नं. 87 रकबा 4 बिघा 1 बिस्वा कुल किता 2 योग 11 बिघा 19 बिस्वा स्थित है। तथा वादी एवं प्रतिवादी नं 1 से लगायत 7 के परिवार का सजरा इस प्रकार है। कि किशना, मोडा, गोकल तीनो सगे भाई थे। इसी अनुसार [illegible] 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 4, 5, 6 [illegible] से 1/3 हिस्सा होकर मौके पर हिस्से व कब्जे अनुसार काबिज चले आ रहे है। तथा [illegible] नं. 4, 5, 6 [illegible] जी के हिस्से पर काबिज है। हीरा जी की मृत्यु हो गई है। तथा मोडा जी की भी मृत्यु [illegible] मृत्यु होने से वादीगण ने अपने पिता नारायण जी के 1/3 हिस्से पर काबिज [illegible] ग्रस्त आराजी किशना, मोडा, गोकल जी के संयुक्त खातेदारी में रही थी इसलिये तीनो का 1/3 हक हिस्सा निहित है। तथा संवत 2048 से 2051 की जमाबंदी के अनुसार वाद ग्रस्त आराजी वादीगण के पिता का 1/3 हक हिस्से के खातेदार होकर काबिज चले आ रहे थे। तथा वादीगण के पिता का देहान्त वर्ष 2004 में होने पर वादीगण अभी कुछ दिन पूर्व राजस्व रिकोर्ड प्राप्त किया जिसमें जानकारी में आया कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्से के खातेदार होते हुये भी राजस्व अधिकारी द्वारा बिना किसी आदेश के वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकोर्ड से विलोपित कर दिया । इस कारण वादीगण को खातेदारी की घोषणा कराने का वाद पेश करना आवश्यक हुंआ ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.03.19 11:17:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

प्रकरण बाद जांच रजिस्टर दर्ज किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस से तलब किया गया । प्रतिवादी नं. 1, 4, 5, 6 की ओर से शंकर लाल सालवी अधिवक्ता ने पावर व जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया । जिसमें प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया कि वादग्रस्त आराजीयत में प्रतिवादीगण नं. 4, 5, 6 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा वादीगण के पिता का 1/3 हिस्सा स्वीकार है। इसी हिस्से अनुसार घोषणा करने में प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है। तथा प्रतिवादीगण ने काउन्टर क्लैम मौजा पण्डेडा तहसील बडीसादडी की आराजी नं. 96 रकबा 7 बिस्वा जो आताचाहा होकर उक्त आताचाहा से वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपनी आराजीयात की सिंचाई ओसरे अनुसार करते चले आ रहे है। तथा उक्त आताचाहा नं. वादीगण के नाम पर गलत अंकित हो गया है। उक्त आताचाहा में वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 4, 5, 6 का 1/3 हिस्सा अनुसार शामलाती खातेदारी की घोषणा की जावे। प्रतिवादी नं. 3 पप्पुडा की ओर से राहुल मेहता अधिवक्ता ने पावर पेश किया । प्रतिवादी नं. 2, 7 की ओर से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई । इसी अनुसार तनकीयात कायम की गई ।

1– आया वादी वादग्रस्त आराजीयात में 1/3 हिस्से अनुसार बटवाड़ा कराने का अधिकारी है।

– जिम्मे वादी

2– आया वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीगण का 4, 5, 6 का 1/3 हिस्से अनुसार व आराजी नं 96 रकबा 7 बिस्वा में पानी लेने के हकदार है।

– जिम्मे प्रतिवादीगण

3– आया प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम अनुसार आताचाहा में निषेधाज्ञा जारी कर वादी को पाबंद कराने का अधिकारी है।

– जिम्मे प्रतिवादीगण

तथा वादी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2017 को पेशकर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण बटवाड़ा कराने का अधिकारी नहीं होने से धारा 53 आरटीएक्ट का अनुतोष विड्रो करते है। इस लिये अब केवल धारा 88 आरटीएक्ट का अनुतोष ही शेष रहा है। दावे के दौरान वादी नं 1, 2, 4 की मृत्यु होने से उनके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया । वारिसान के विधिक वारिसान को नोटिस जारी किये गये। कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाय गई । संशोधित टाईटल पेश किया गया। व वारिसान को रिकोर्ड पर लिया गया। तथा दावे के दौरान वादीगण भैरूलाल, काली पिता नारायण, मोहनी पत्नी नारायण बलाई एवं प्रतिवादीगण उदयलाल, मनोहरलाल, भैरूलाल पिता हिराबलाई ने एक राजीनामा पेश कर यह निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं. 4, 5, 6 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा होकर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होने से खातेदारी घोषणा की जावे। तथा आराजी नं. 96 रकबा 7 बिस्वा वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी में रखी जावे। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। वादी के बयान कराये गयें व दस्तावेज प्रदर्श कराये गये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। और आदेश दिया जाता है कि मौजा पण्डेड़ा की आराजी नं. 50 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा आरजी नं. 87 रकबा 4 बिघा 1 बिस्वा कुल किता 2 योग 11 बिघा 19 बिस्वा भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं. 4, 5, 6 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा होकर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होने से खातेदारी घोषणा की जावे। तथा आराजी नं. 96 रकबा 7 बिस्वा वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी में रखी जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावे। उक्त आशय का डिक्री पर्चा अलग से बनाया जावे । निर्णय आज दिनांक 30/01/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.03.19 11:17:15 IST
Reason: SelfAttested

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी